E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2024; 6(1): 122-124
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 06-02-2024
Accepted: 11-03-2024

डॉ. मो. वसीम अकरम मोमिन, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, कोरबा, छत्तीसगढ़, भारत

डॉ. रुचि त्रिपाठी
सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ. मो. वसीम अकरम मोमिन, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, कोरबा, छत्तीसगढ़, भारत

समावेशी एवं न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

डॉ. मो. वसीम अकरम मोमिन, डॉ. रुचि त्रिपाठी

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2024.v6.i1b.315

सारांश
वर्तमान समय में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना दिन–प्रतिदिन आवश्यक होता जा रहा है। जो व्यक्ति विद्यालयीन शिक्षा अर्जित नहीं कर पाया, वह कौशल सीखता है। इस सोच को बदलना होगा। विश्व के विभिन्न देशों में हमारे भारत के कुशल युवाओं की मांग बढ़ रही है। देश के भीतर भी प्रशिक्षित व कौशलयुक्त कामगारों की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। शिक्षा एवं कौशल को जोड़ने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में इसे सम्मिलित किया गया है।
प्राचीन शिक्षा प्रणाली से लेकर वर्तमान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 तक शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव आए है। जो कि हमारी वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप समय–समय पर किए गए है। शिक्षा मानव का सर्वांगीण विकास करती है। युवाओं के प्रेरणास्त्रोत रहे आध्यात्मिक विचारक स्वामी विवेकानंद के अनुसार 'शिक्षा मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।' वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्य एवं क्षेत्र व्यापक हो गए हैं। नैतिक विकास के साथ ही शिक्षा आजीविका चलाने के रूप में प्रशिक्षण हेतु भी महत्वपूर्ण हो गई है। विज्ञान एवं तकनीक का तीव्र विकास भी समावेशी एवं न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यक है।
भारत सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' जुलाई, 2015 में प्रारंभ की है। जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है जो कम पढ़े–लिखे हो या जिन्होने विद्यालय बीच में ही छोड़ दिया हो। सन् 2020 तक यह लक्ष्य ऐसे एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना था। छात्रों का कौशल विकास यदि विद्यालयीन शिक्षा के साथ ही किया गया, तो पृथक से किए जाने वाले समय और धन का अपव्यय रोका जा सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में व्यावसायिक पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है। साथ ही पढ़ाई के मध्य से ही छात्र अपनी आवश्यकतानुसार तथा मनोवांछित कौशल का चयन कर विद्यालयीन शिक्षा के साथ–साथ कौशल में पारंगत हो सकता है। जिसमें स्थानीय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कूटशब्द : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, न्यायसंगत, कौशल

प्रस्तावना
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई, सन् 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रीमण्डलीय समिति द्वारा मंजूरी दी गई। जो कि सन् 1986 के 34 वर्ष के अन्तराल के बाद आई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग के अध्यक्ष इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन थे। नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा था 'विश्व में इससे बड़ा परामर्श, विचार–विमर्श कभी नहीं हुआ होगा, यह नवाचार का उदाहरण है।' नई शिक्षा नीति के लिए सम्पूर्ण भारत से विचार–विमर्श किया गया। देश का भविष्य विद्यालय तथा महाविद्यालय से पढ़कर निकले छात्रों की गुणवत्ता से निर्मित होता है। अतः छात्रों को कौशल विकास कर उत्पादक बनाना आवश्यक है। समावेशी एवं न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ–साथ शारीरिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कला व शिल्प की जानकारी, मातृभाषा, स्थानीय भाषा एवं विदेशी भाषाओं के शिक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

नई शिक्षा नीति–2020 में छात्रों को समावेशी एवं न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा जैसे बागवानी, मिट्टी के बर्तन, बढई के काम, विद्युत का काम, एवं धातु के काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें विषय के चयन में छात्र/छात्राओं को लचीलापन एवं बहुविकल्प दिया गया है। जिससे वे कला, विज्ञान तथा वाणिज्य वर्ग में से किसी भी विषय को चुन सकते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख करना।
2. नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समावेशी एवं न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अध्ययन।

शोध विधि

यह शोध पत्र द्वितीयक स्त्रोतों द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर लिखा गया है। जिसमें समाचार पत्रों, पुस्तकों, व इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई है।

शोध समीक्षा

शिक्षा के द्वारा व्यक्ति तथा राष्ट्र के साथ ही समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। शिक्षा हमें प्राचीन ज्ञान, गौरव तथा अस्मिता से परिचय कराती है। वर्तमान समय में समस्त चुनौतियों से टकराने के लिए तथा आगामी जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए तैयारी कराती है। समय के साथ–साथ व्यक्ति की आवश्यकता बदलती रहती है। अतः समय के अनुसार शिक्षा नीति में भी परिवर्तन आवश्यक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया तेजी से परिवर्तन के मार्ग पर अग्रसर है। कम्प्यूटर, डाटा और तकनीक के क्षेत्र में कुशल कामगारों की मांग में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। इनमें आने वाले समय में ऐसे लोगों की मांग और बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान एवं मानविकी के विविध पक्षों में योग्यता रखते हो। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में शिक्षार्थियों में तार्किकता, नैतिकता के साथ रोजगार के लिए सक्षम बनाने जैसे बिन्दुओं पर जोर दिया गया है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में समावेशी व न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अध्ययन

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अग्रलिखित सिद्धांत समावेशी व न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निम्नलिखित भूमिका रखते है– प्रत्येक छात्र/छात्राओं की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान करके उनके विकास हेतु प्रयत्न करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध करना, तकनीकी का यथासंभव प्रयोग करने पर जोर, बहुभाषिकता, रचनात्मकता एवं तार्किक सोच, लचीलापन, जीवन कौशल, सीखने के लिए सतत् मूल्यांकन पर ध्यान देना, भारतीय संस्कृति की जड़ों एवं गौरव से बंधे रहना।

उपयुक्त तथ्यों के तहत् प्रत्येक छात्र/छात्राएं अपनी पसंद के कौशल का चयन करें तथा भविष्य में बेहतर तरीके से प्रगति कर सके। मनपसंद कार्य करने से कार्य में निपुणता आती है साथ ही समय, धन व श्रम की बचत होती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सिद्धांत छात्रों को विज्ञान एवं कला के विषय का चयन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्येत्तर क्रियाओं का चयन में लचीलापन देता है। जिससे प्रशिक्षणार्थी को उन क्षेत्रों में कौशल का (पुराने ज्ञान को आगे बढ़ाना हो या नया अन्वेषण करना हो), यह दोनों ही तार्किक एवं रचनात्मक सोच द्वारा ही सम्भव होता है। भाषा व कौशल के स्त्रोत के रूप में बहुभाषिकता अपना विशेष योगदान देती है। किसी भी भाषा का क्षेत्र जितना व्यापक होगा, व्यवसाय चयन का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होता जाएगा।

नई शिक्षा नीति के प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत द्वारा सन् 2015 में अपनाए गए सतत् विकास एजेंडा वर्ष 2030 तक 'सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का' लक्ष्य निहित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत विद्यालय पाठ्यक्रम को 5 + 3 + 3 + 4 में पुनर्गठित किया गया है। जिसके तहत पाठ्यक्रम को छात्र/छात्राओं के विकास तथा रूचि के अनुसार क्रमशः अग्रलिखित स्तरों में विभाजित किया गया है। जिसमें बुनियादी स्तर, प्रिपेटरी स्तर, माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी स्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में पाठ्यक्रम के स्टेज पर महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सार रूप में इस प्रकार वर्णित किया जाता है– बुनियादी स्तर द्वारा बच्चों को प्रवेश दिलाना व खेल–खेल में अधिगम। इसमें विद्याथियों को परीक्षा से मुक्त रखा गया है। मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा मे पढ़ाई का माध्यम होगा, जिससे छात्र/छात्राओं को सीखने में सुगमता होगी। प्रिपेटरी स्तर अंतर्गत शिक्षा में भाषाओं बोलचाल के माध्यम के रूप में सिखाना तथा अंग्रेजी को विषय के रूप में पढ़ाने पर बल दिया गया है। माध्यमिक स्तर में छात्रों को विभिन्न विषयों के साथ कम्प्यूटर कोडिंग की जानकारी, तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कौशल को भी अपनी इच्छानुसार सीख सकेंगे। सेकेंडरी स्तर में परीक्षा 6 माह में आयोजित होगी। इसके साथ–साथ विद्यार्थी एकाधिक विषयों का चयन कर सकेंगे। एक विदेशी भाषा का अध्ययन भी हो सकेगा। स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष में डिप्लोगा, तृतीय वर्ष में डिग्री प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। जिससे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले छात्र/छात्राओं को भी लाभ होगा और वे अपने अध्ययन पूरा कर पाऐंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय जो विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शीर्ष 50 में है, वे भारत में अपनी शाखायें खोल सकते हैं। जिससे भारत में रहकर भी वैदेशिक विश्वविद्यालयों से शिक्षा अर्जित की जा सके।

उपसंहार

किसी भी समाज एवं देश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक अपरिहार्य तत्व है। इस आवश्यकता को पूरा करने हेतु राष्ट्र द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाती है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 अनुमोदित की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाने हेतु बल दिया गया है। साथ ही मूल्यांकन विधि में परिवर्तन किया गया है। अब छात्र व सहपाठी भी स्व–मूल्यांकन कर सकेंगे, जिससे छात्र/छात्राओं में सहभागिता की भावना का विकास होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माध्यम भाषा के रूप में मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा के चुनाव पर बल दिया जा

रहा है। स्थानीय भाषा एवं मातृभाषा तकनीक व कम्प्यूटर के लिए वर्तमान में पूर्णतः विकसित नहीं हो पायी है। अतः भारतीय भाषाओं के विकास के लिए आवश्यक पहल की जानी चाहिए।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति केन्द्र तथा राज्यों के बीच नीति के क्रियान्वयन पर हर वर्ष समीक्षा करेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में भारत ज्ञान–विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के क्षेत्र में तेजी से अग्रसर है। साथ ही कौशल के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है। ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभावी प्रभावी होगी। यह नीति समावेशी एवं न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगी।

सन्दर्भ

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2020.
2. गंगवाल, सुभाष. नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौती का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति, पृष्ठ संख्या 4, 22 अगस्त 2020.
3. सिंह, दुर्गेश. क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020 पृष्ठ संख्या 80–81.
4. परिहार, प्रेम. ''नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ'' इंटरनेशनल जरनल ऑफ अपलाईड रिसर्च, पृष्ठ संख्या 109–111.
5. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf